कानपुर विकास प्राधिकरण

आवेदन पत्र का कमांकः–

1– फर्म का नाम ....

2– भागीदारों के नाम (1...2..3.......................)

3– पूरा पता..

मो0 नं0...फोन नं0.................................

4– स्वामित्व/पार्टनरशिप /कम्पनी का प्रकार...

5– स्टाफ की संख्या, नाम व पता (संलग्नक–1)

6– वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में परिशिष्ट सं0– 3 के अनुसार (संलग्नक –2)

7– पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान व पता (समस्त भागीदारों/ निदेशकों का) (संलग्नक–3)

8– दो नवीनतम् प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी । (समस्त भागीदारों/निदेशकों की)

9– पिछले तीन वर्षो का आयकर रिटर्न व फार्म 26 A.S. की प्रतियॉ एवं बैलेंस शीट/पैन कार्ड की छायाप्रतियॉ (संलग्नक–4अ) तथा व्यापार कर विभाग से सेल्स टैक्स क्लियरेन्स प्रमाण प्रत्र (संलग्नक–4ब)।

10– इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर अथवा उसका निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार कानपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नही है। ब्लड रिलेशन (निकट सम्बधी का तात्पर्य पिता, माता, बहन, भाई, बहनोई, लड़का ,लड़की, ससुर, दामाद, स्वयं अथवा स्वयं की पत्नी, ससुर के या सास के चचेरे भाई से है) (संलग्नक–5)

11– निर्माण/ विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची (संलग्नक–6)

12– पिछले चार वर्षो में किये गये निर्माण/ विकास कार्यो के विवरण की सूची (संलग्नक–7)

13– अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्नक–8)

14– डिग्री/ डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/ डिप्लोमा की सत्यापित प्रतिलिपि (संलग्नक–9)

15– पार्टनरशिप फर्म के लिये पार्टनरशिप डीड एवं रजिस्ट्रार आफ फर्म का प्रमाण पत्र तथा कम्पनियों के लिये मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन, आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं प्रोपराइटर हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्नक–10)

16– विद्युत कार्य के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये शासन द्वारा प्रदत्त ''क''श्रेणी/''क'' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा।(संलग्नक–11)

नवीनतम् सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)			

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

कानपुर विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नियम व शर्ते

1— भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यो हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदार वित्तीय वर्ष 2015—16 हेतु निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु पात्र होंगेः—

श्रेर्णी		सिविल कार्य	विधुत कार्य
''ए''	श्रेणी	रू0 200.00 लाख से अधिक 500 लाख तक	रू0 100.00 लाख से अधिक 150.00 लाख तक.
''बी'	श्रेणी	रू0 100.00 लाख से अधिक 200.00 लाख तक	रू0 50.00 लाख से अधिक—100.00 लाख तक.
''सी''	श्रेणी	रू0 50.00 लाख से अधिक 100.00 लाख तक	रू0 25.00 लाख से अधिक— 50.00 लाख तक.
''डी''	श्रेणी	रू0 50.00 लाख तक	रू0 25.00 लाख तक.

रू0 5.00 करोड़ से अधिक मूल्य के सिविल कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत ''ए'' श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिये अधिकृत होंगे। इसी प्रकार रू0 1.50 करोड़ से अधिक मूल्य के विद्युतीकरण कार्यो हेतु भी प्रधिकरण में पंजीकृत ''ए'' श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त ऐसे अपंजीकृत ठेकेदार/फर्मे जो निदेशक , विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त ''क'' श्रेणी/''क'' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स धारक है, भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन शर्त यह होगी कि उनकी निविदा स्वीकृत होने पर उन्हें विभाग में नियामानुसार पंजीकरण, सम्बन्धित कार्य के अधिशाषी अभियन्ता के माध्यम से कराना होगा। ऐसी निविदायें **टू—बिड पद्वति** के माध्यम से विशेष नियमों/शर्तो के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी। विशिष्ट प्रकृति के कार्यो की निविदाएँ भी टू—बिड पद्वति से आमंत्रित की जायेगी तथा इनकी कोई न्यूनतम सीमा नही होगी।

2— फर्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खोला जायेगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी।

3— निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

4— ठेकेदारों को निविदा धनांक की 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफ. डी .आर./एन. एस. सी. जो वित्त नियन्त्रक कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के नाम बन्धक हो, के रूप में निविदा क्रय करने से पूर्व जमा करनी होगी। **टू—बिड पद्वति पर आधारित निविदाओं में नियमानुसार राष्ट्रीकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा जारी एफ0 डी0 आर0/एन0एस0सी0/बैंक गारन्टी (मूल रूप से) मान्य होगी।**

5— चलित देयकों से जमानत राशि 10 प्रतिशत की दर से काटी जायेगी। यह जमानत राशि एफ.डी.आर./एन. एस.सी. के रूप में जो कानपुर विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक हो, में परिवर्तित की जा सकती है। **टू—बिड प्रद्धति पर आधारित निविदाओं में तकनीकी बिड में उल्लिखित शर्तो के अनुसार जमानत राशि काटी जायेगी।**

6— ठेकेदारों द्वारा निविदा के समय दी गयी दरों पर 10 प्रतिशत बिलो (Below) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशित कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर **एफ0 डी0 आर0/एन0एस0सी0** के रूप में सिक्योरिटी /परफारमेंश गारन्टी ली जायेगी, जो वित्त नियन्त्रक कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक होगी।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

7— वित्तीय वर्ष 2015—16 में पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों एवं वर्क इन हैण्ड का विवरण परिशिष्ट सं0—5 के अनुसार सम्बन्धित अभियन्त्रण खण्डों से सत्यापित कराकर देना होगा। यदि वित्तीय वर्ष 2014—15 में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा उक्त वर्ष में कोई कार्य नहीं किया गया है तो उन्हें उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

8— पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना , फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को (ब्लैक लिस्ट) काली सूची में दर्ज करने का अधिकार उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को होगा।

9— इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म का कोई भी पार्टनर उसका निकट का रिश्तेदार/निकट सम्बन्धी का तात्पर्य पिता , माता, बहन, भाई, बहनोई, लड़का , लडकी, ससुर , दामाद स्वयं अथवा स्वयं की पत्नी ससुर के या सास के चचरे भाई से है। (कानुपर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है) यदि इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर उसकी फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

10— किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण, जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण से अवकाश प्राप्त होने के दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही किया जायेगा ।

11— निविदा मूल्य निम्न प्रकार देय होगाः—

रू0	**2.00 लाख तक**	**300/— + 5 % वैट**
रू0	**2.00 लाख से अधिक 5.00 लाख तक**	**600/— तदैव**
रू0	**5.00 लाख सें अधिक 10.00 लाख तक**	**950/— तदैव**
रू0	**10.00 लाख से अधिक 25.00 लाख तक**	**1500/— तदैव**
रू0	**25.00 लाख से अधिक 100.00 लाख तक**	**3000/— तदैव**
रू0	**100.00 लाख से अधिक 200.00 लाख तक**	**6000/— तदैव**
रू0	**200.00 लाख से अधिक 500.00 लाख तक**	**7000/— तदैव**
रू0	**500.00लाख से अधिक**	**10000/—तदैव**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

12– सभी ठेकेदारों को जिला मजिस्ट्रेट से वर्तमान मे वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास स्थान का पता सत्यापित कराकर देना होगा।

13– प्रमाण पत्र के साथ लगायी जाने वाली फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिये ।

14– सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेंगे जो किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।

15– विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय , अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये जायेगें। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।

16– निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या –1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

17– निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या –2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल , खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा । यदि मशीनरी स्थल पर नहीं पायी जाती है तो संलग्न सूची के अनुसार मशीनरी का बाजार दर से किराया उनके बिल से काटा जायेगा।

18– पंजीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या –3 के अनुसार देय होगा, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।

19– लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र परिशिष्ट संख्या –3 के अनुसार परिशिष्ट संख्या –4 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रीकृत/ शिड्यूल बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा जो छः माह से पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए।

20– क्षमता निर्धारण हेतु विगत चार वर्षो में कानपुर विकास प्राधिकरण में पूर्ण किये गये कार्य, किये जा रहे कार्य तथा अन्य विभागों में पूर्ण किये गये कार्यो एवं किये जा रहे कार्यो का विवरण संलग्न परिशिष्ट सं0 –5 में देना होगा; जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

21– **(i) Individuals, Partnership filrm, Hindu undivided family , Private व public Limited Company को अंतिम तीन वर्षो की आडिटेड बैलेन्शीट; आई0टी0आर0 तथा 26 A.S. संलग्न करना होगा।**

(ii) ''डी ''श्रेणी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु राष्ट्रीकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा जारी नेटवर्थ प्रमाण पत्र अथवा वैध हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा।

22– वॉच्छित अभिलेख ,आवेदन पत्र के साथ जमा न करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

23– पंजीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है ।

24– पंजीकृत ठेकेदारों को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में समय–समय पर जारी किये गये आदेश मानने होगें।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

पंजीकरण वर्ष 2015–16 हेतु

25– (1) सिविल कार्यो के पंजीकरण/ नवीनीकरण के लिए विगत 4 वित्तीय वर्षो अर्थात 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015 में भवन निर्माण/ विकास कार्य कराने का न्यूनतम अनुभव ''ए'' श्रेणी हेतु कुल रू0 500.00 लाख, ''बी'' श्रेणी हेतु कुल रू0 200.00 लाख, ''सी'' श्रेणी हेतु कुल रू0 100.00 लाख एवं ''डी'' श्रेणी हेतु कुल रू0 50.00 लाख का राजकीय विभागों/ राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में किये जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसी प्रकार विद्युतीकरण के कार्यो के लिए विगत 04 वित्तीय वर्षो अर्थात 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015 में आपूर्ति एवं स्थापना कार्य कराने का न्यूनतम अनुभव ''ए'' श्रेर्णी हेतु कुल रू0 150.00 लाख, ''बी'' श्रेर्णी हेतु कल रू0 100.00 लाख, ''सी'' श्रेणी हेतु कुल रू0 50.00 लाख एवं ''डी'' श्रेर्णी हेतु कुल रू0 25.00 लाख का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक /प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में किये जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। श्रेणी– डी के ठेकेदारों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी।

(2) सभी आवश्यक प्रपत्र आवेदन फार्म के साथ ही संलग्न किये जायेगे। किसी भी दशा में अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेगें। (**पंजीकरण हेतु सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ प्रकाशन की तिथि से एक माह तक ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें**)।

(3) नवीनीकरण के लिए विगत वर्ष 2014–15 में पंजीकृत फर्म /ठेकेदार ही आवेदन कर सकेगे । विगत वर्ष 2014–15 में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा नवीनीकरण शुल्क के साथ लिक्विड एसेट्स प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण/वर्क इन हैण्ड' प्रमाण/ चरित्र प्रमाण पत्र आदि निर्धारित तिथि तक ही मान्य होगें।

नोटः–

1. उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र **अधिशासी अभियन्ता या उसके समकक्ष अधिकारी के नीचे के स्तर के अधिकारी का मान्य नहीं होगा।**
2. नवीनीकरण के लिये गत वर्ष किये गये/किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का कार्य सन्तोष जनक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. **सभी प्रपत्र पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।**

26– ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में केवल एक वर्ष के लिये किया जायेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा। इसी प्रकार विगत वर्ष 2014–15 में पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण एक वर्ष के लिये किया जायेगा. जो चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैध होगा।

27– किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

28– कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के मुख्य /अधीक्षण अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें । इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा ।

29– यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है, और उस फर्म का मालिक या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या मालिक है, तो वह फर्म भी स्वतः ही (ब्लैक लिस्ट) काली सूची में दर्ज हो जायेगी।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

30— बी.ई0/बी. टेक एवं समकक्ष डिग्री धारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के ''सी''श्रेणी में किया जा सकता है।

31— विद्युतीकरण के कार्यो हेतु **निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन से प्राप्त ''क''श्रेणी/''क'' श्रेणी अनुमोदित लाइसेन्स संलग्न करना होगा ,** जो पंजीकरण/ नवीनीकरण अवधि के लिये वैध होना चाहिये ।

32— एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोप्राइटर अथवा साझीदार हो सकता है।

33— केवल **हाट मिक्स प्लान्ट** के कार्यो के लिये पंजीकृत फर्मो के साथ—साथ समस्त प्लान्ट धारक जिनके पास स्वयं का MORT& H की विशिष्टियों के अनुसार कम्प्यूटर कंट्रोल्ड हाटमिक्स प्लाट, पेवर, वाइब्रेटरी रोलर , रोड रोलर, बिटुमिन स्प्रेयर, कम्प्रेसर आदि हो तथा जो कानपुर में उपरोक्त प्लान्ट स्थापित कर कार्य करना चाहें, ऐसी फर्म प्राधिकरण की निविदा में भाग लें सकेगें। किन्तु उन्हें प्रथम बार निविदा स्वीकृति के उपरान्त पंजीकरण की समस्त औपचारिकतायें तथा पंजीकरण फीस जमा करनी होगी। हाटमिक्स प्लान्ट वर्ग में मात्र ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण होगा, जो प्राधिकरण के हाटमिक्स प्लान्ट आधारित एक करोड़ से अधिक धनांक के कार्यो के लिये मान्य होगा।

34— शिरोपरि जलाशय हेतु वही पंजीकृत ठेकेदार पात्र होगें, जिन्हें विगत चार वर्षो में शिरोपरि जलाशयों के निर्माण का अनुभव हो । पूर्णता प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता से कम के स्तर का मान्य नहीं होगा। शिरोपरि जलाशाय वर्ग में ''ए'' श्रेणी में पंजीकरण होगा, जो किसी भी कार्य धनांक के लिये मान्य होगा। ''ए'' श्रेणी की पंजीकरण हेतु समस्त अर्हताएँ पूर्ण करनी होगी।

35— कानपुर विकास प्राधिकरण में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत फर्मे जो निदेशक; विद्युत सुरक्षा निदेशालय , उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त ''क'' श्रेणी / ''क'' श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स धारक हो, वे ही विद्युतीकरण कार्यो की निविदाओं में अपनी पंजीकृत/ नवीनीकृत श्रेणी में भाग लेने हेतु पात्र होंगी। निविदा के साथ विद्युत लाइसेंन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा में भाग लेने वाली फर्मो हेतु प्रकाश व्यवस्था व फौव्वारों आदि के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण —पत्र की स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नलकूप स्थापना एवं संचालन का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सहित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निविदा के साथ नलकूप संचालन हेतु आई0टी0आई0 योग्यता प्राप्त पम्प आपरेटर का प्रमाण —पत्र निविदा स्वीकृति उपरान्त उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

36— कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार श्रम विभाग, उ0प्र0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा कार्यस्थल पर लगाये गये श्रमिकों का भी समय—समय पर पंजीकरण नियमानुसार कराना होगा।

37— <u>पंजीकरण का प्रमाण— पत्र निर्गत किया जाना</u>

1. पंजीकरण के लिए आदेश प्राप्त हो जाने के पश्चात व पंजीकरण शुल्क जमा कर देने के उपरान्त ठेकेदार/पंजीकृत फर्म को परिशिष्ट—6 के अनुसार उसके पंजीकृत किये जाने का एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
2. पंजीकरण मात्र इसी वित्तीय वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2016 तक के लिए वैध होगा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

3. यदि किसी ठेकेदार /फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी कारण से खराब हो जाये अथवा खो जाये तो उसे उक्त घटना का स्वीकार्य कारण प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार शुल्क जमा करने पर डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण– पत्र निर्गत किया जा सकेगाः–

श्रेणी	शुल्क
1– ''ए'' श्रेणी	रू0 250.00
2– ''बी'' श्रेणी	रू0 200.00
3– ''सी'' श्रेणी	रू0 150.00
4– ''डी'' श्रेणी	रू0 100.00

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या–1

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यो पर निम्नानुसार स्टाफ रखना होगा। (10/ रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

श्रेणी {''ए''}

एक ग्रेजुएट सिविल/विद्युत/ यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक इंजीनियर

या

एक डिप्लोमा सिविल/ विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक इंजीनियर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो

श्रेणी{''बी''}

एक डिप्लोमा सिविल/विद्युत/ यांत्रिक/ इलेक्ट्रानिक इंजीनियर जिसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो

श्रेणी{''सी''}

एक डिप्लोमा सिविल/ विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक

श्रेणी{''डी''}

जिसे निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा :–

कमांक	नाम एवं पता	तकनीकी अर्हता	पदनाम	दिनांक जहॉ से निरन्तर सेवा प्रारम्भ की हो
1	2	3	4	5

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –2

निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूचीः– (10/रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित)

सिविल कार्यः–

कमांक	मशीनरी का नाम	''ए''	बी	सी	डी	
1.	कंकरीट मिक्सर	2	2	1	1	–
2.	वाइब्रेटर्स	3	2	2	1	–
3.	पम्पस्	2	1	1	1	–
4.	पेकलेन	1	–	–	–	–
5.	डीजल जनरेटिंग सैट 25 कि0 वाट	1	–	–	–	–
6.	ट्रैक्टर्स	1	–	–	–	–
7.	रोड रोलर	1	–	–	–	–
8.	थ्योडोलाइट	1	–	–	–	–
9.	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	–	–	–	–
10.	बिटुमिन बायलर	1	–	–	–	–

विद्युत कार्य

कमांक	मशीनरी का नाम	मात्रा
1	मेगर 500 वोल्ट/2.5 केवी	01 नग
2.	अर्थ टेस्टर	01 नग
3.	टॅन्ग टेस्टर	01 नग
4.	कीपिंग टूल	01 नग
5.	सेफ्टी बेल्ट	04 नग
6.	हेलमेट	04 नग
7.	एम्पियर मीटर	01 नग
8.	वोल्ट मीटर	04 नग
9.	ग्लोब्ज	01 सेट
10.	मल्टीमीटर	01 नग
11.	अर्थ चेन	01 नग

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –3

सिविल /विद्युत कार्यो हेतु पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क , लिक्विड एसेट एवं टैन्जिबल नेटवर्थ का विवरण

सिविल कार्यः–

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू0 में)	पंजीकरण शुल्क (रूपये में) (जमा फीस वापसी नही)	नवीनीकरणरण शुल्क (रूपयों में प्रति वर्ष)(जमा फीस वापसी नही)	लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र (रू0 लाख में) (नोट–1)	टैन्जिबल नेटवर्थ (रू0 लाख में) (नोट–2)
''ए''	200 लाख से अधिक 500 लाख तक	50,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 7000=57000.00)	15000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 2100=17,100.00)	75.00	125.00
''बी''	100 लाख से अधिक 200 लाख तक	25,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 3500=28,500.00)	10,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू01400=11,400.00)	30.00	50.00
''सी''	50 लाख से अधिक 100 लाख तक	20,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 2800=22,800.00)	5000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 700=5700.00)	15.00	25.00
''डी''	50 लाख तक	15,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 2100=17,100.00)	3000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 420=3420.00)	7.50	12.50

विद्युत कार्यः–

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू0 में)	पंजीकरण शुल्क (रूपये में) (जमा फीस वापसी नही)	नवीनीकरणरण शुल्क (रूपयों में प्रति वर्ष) (जमा फीस वापसी नही)	लिक्विड एसेट प्रमाण पत्र (रू0 लाख में) (नोट–1)	टैन्जिबल नेटवर्थ (रू0 लाख में) (नोट–2)
''ए''	100 लाख से अधिक 150 लाख तक	25,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 3500=28,500.00)	10,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 1400=11,400.00)	30.00	50.00
''बी''	50 लाख से अधिक 100 लाख तक	20,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 2800=22,800.00)	5,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 700=5700.00)	15.00	25.00
''सी''	25 लाख से अधिक 50 लाख तक	15,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 2100=17,100.00)	3,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 420=3420.00)	8.00	12.00
''डी''	25 लाख तक	10,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 1400=11,400.00)	2,000.00 (+14% सर्विस टैक्स अतिरिक्त रू0 280=2280.00)	4.00	6.25

नोट–1. राष्ट्रीयकृत/शिडयूल बैंक से परिशिष्ट सं0 4 के प्रारूप में प्रमाण पत्र जो कि छः माह से पूर्व का न हो प्रस्तुत करना होगा।

नोट–2. टैन्जिबलनेटवर्थ की गणना अन्तिम आडिटेड बैलेन्सशीट के आधार पर निम्नानुसार होनी चाहिएः–

"Net worth will mean value of Fixed Assets as per last Audited Balance Sheet **(**after providing Depreciation**)** Plus Net working capital **(**current Assets minus current liabilities**),,**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –4

प्रमाणित किया जाता है कि मै0 ....

प्रोपराईटर / पार्टनर का नाम..

निवासी..
....

गत.................. वर्षो से हमारे खातेदार है एवं जिनका व्यवहार संतोषजनक है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उनका लिक्विड एसेट्स रू0 ....लाख से अधिक है।

दिनांकः

बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर
सील सहित

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट संख्या –5

1. कानपुर विकास प्राधिकरण में विगत चार वित्तीय वर्षो में पूर्ण किये गये कार्य।

ठेकेदार/ फर्म का नामः–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5

2. कानपुर विकास प्राधिकरण में विगत वित्तीय वर्षो /वर्तमान वर्ष में प्रगतिमान कार्यो का विवरण ।

ठेकेदार/फर्म का नामः–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी यदि कोई
1	2	3	4	5	6	7

3. अन्य विभागों में विगत चार वित्तीय वर्षों में पूर्ण किये गये कार्य ।

ठेकेदार/ फर्म का नाम :–

क0 सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0 एवं दिनांक	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5

4. अन्य विभागो में विगत वित्तीय वर्षो / वर्तमान वर्ष में प्रगतिमान कार्यो का विवरण ।

ठेकेदार/ फर्म का नामः–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	अनुब्ध सं0 एवं दिनांक	कार्य प्रारम्भ का दिनांक	भौतिक प्रगति प्रतिशत में	टिप्पणी यदि कोई
1	2	3	4	5	6	7

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

परिशिष्ट – 6
पंजीकरण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स / श्री ....पता .... है। कानपुर विकास प्राधिकरण में ....वर्ष 2015–16 के लिए ....श्रेर्णी में पंजीकत है।

अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता
कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com